

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

पत्र संख्या—9 / उपांकीट०अनु०—02 / 2011—

/ कृ०, पटना, दिनांक 2015

प्रेषक :

धर्मेन्द्र सिंह, मा०प्र०स०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स लक्ष्मी केमिकल्स,,
बी०-03, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फतुहा, पटना।

विषय :— कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञाप्ति संख्या—12 दिनांक 01.11.2004 के नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन, कोषागार चलान एवं सुसंगत कागजातों के आलोक में सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) सर्वेलेन्स मुख्यालय, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों से संबंधित विनिर्माण अनुज्ञाप्ति संख्या—12 दिनांक—01.11.2004 का नवीकरण 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम	क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Malathion 25% WP	30	Chlorpyriphos 50% + Cypermethrin 5% EC
2	Malathion 5% DP	31	Gibberellic acid tech
3	Fenvalerate 20% EC	32	Malathion 50% EC
4	Butachlor 50% EC	33	Cypermethrin 1.0% Chalk
5	Methyl Parathion 2% DP	34	Anilophos 24% + 2-4 D Ethyl Ester 32% EC
6	Monocrotophos 36% SL	35	Kitazin 48% EC
7	Phorate 10% CG	36	Deltamethrin 2.8% EC
8	Ethion 50% EC	37	Isoproturon 75% WP
9	Methylparathion 50% EC	38	Profenophos 50% EC
10	2, 4-D Ethyl Ester 34% EC	39	Isoproturon 50% WP
11	Quinalphos 25% EC	40	2-4-D Ethyl Ester 38% EC (having 2-4 D Acid 34% w.w)
12	Fenvalerate 0.4% DP	41	2-4 D Sodium Salt 80% WP
13	Mancozeb 75% WP	42	Glyphosate 41% SL
14	Azadirachtion 0.03%	43	Sulfosulfuron 75% WG
15	Butachlor 5% GR	44	Mancozeb 35% SC
16	Dicofol 18.5% EC	45	Piroxofop Propanyl (Clodinafop Propargyl) 15% WP
17	Mancozeb 80% WP	46	Pretilachlor 50% EC
18	Monocrotophos 40% SL	47	Metsulfuron Methyl 10%+Chlorimuron Ethyl 10% WP
19	Malathion 57% EC	48	Butachlor 50% EW
20	Chlorpyriphos 20% EC	49	Hexaconazole 5%EC
21	2-4-D, Ethyl Ester 20% WP	50	Paraquat Dichloride 24% SL
22	Dimethoate 30% EC	51	Acetamiprid 20% SP
23	Acephate 75% SP	52	Imidacloprid 17.8% SL
24	Chlorpyriphos 1.5% DP	53	Cypermethrin 25% EC
25	Cypermethrin 10% EC	54	Imidacloprid 70% WG
26	Sulphur 85% DP	55	Metsulfuron Methyl 20 % WP
27	Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP	56	Clodinafop-Propargyl 15% WP
28	Sulphur 80% WP	57	Fenoxyprop-p-ethyl 10% EC
29	Cartaphydrochloride 4% GR	58	Thiamethoxam 25 % WG

2— यह आदेश दिया जाता है कि अनुज्ञाप्ति प्राप्त कीटनाशियों का विनिर्माण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

3 अनुज्ञाप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी का विनिर्माण सर्वथा वर्जित होगा।

4— भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक तथा प्रतिबंधित कीटनाशियों का विनिर्माण तुरंत बंद कर देना होगा।

5— विनिर्माण अनुज्ञाप्ति में वर्णित कीटनाशी का विपणन / बिक्री उन्हीं फसलों के लिए का जायेगी जिन फसलों के लिए CIB & RC द्वारा Lable Claim की स्वीकृति दी गई है। किसानों के बिच उक्त कीटनाशी के उपयोग की जानकारी समग्र रूप से दे दी जाय।

6— अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अनुज्ञापन पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को भी इसकी प्रति दी जाय।

7— मूल अनुज्ञाप्ति संख्या—12 दिनांक 01.11.2004 इसके साथ संलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

₹०/-
(धर्मेन्द्र सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1028

/कृ०, पटना, दिनांक 25-02-2015

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना / संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना / सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना / जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ (2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।